प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना

कार्यालय
अधिशासी अभियन्ता,
पी0एम0जी0एस0वाई0– सिंचाई खण्ड
कोटद्वार (गढवाल)

Tel:- 01382-2224570
Fax:- 01382-2229847
E-mail Id:- eepmgsykotdwara@rediffmail.com

पत्रांक 309 /पी0एम0जी0एस0वाई0–सिंचाई खण्ड/कोटद्वार दिनांक 08/04/25

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी
भूमि संरक्षण वन प्रभाग
लैन्सडौन

विषय :– जनपद पौड़ी गढ़वाल के प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत मस्टखाल से शीलाडांडा मोटर मार्ग पर पुनरीक्षित एन0पी0वी0 की धनराशि वन विभाग के पक्ष मे जमा करवाये जाने के सम्बन्ध में।

संदर्भ :– आपके कार्यालय के पत्रॉक 766/12–1 दिनॉक 07.10.2019, पत्रॉक 1028/12–1 दिनॉक 27.01.2025।
ऑनलाईन प्रपोजल सं0 FP/UK/ROAD/11139/2015

महोदय,

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र के कम अवगत कराना है कि मस्टखाल से शीलाडांडा मोटर मार्ग पर सैद्वान्तिक स्वीकृति प्राप्त हुई, सैद्वान्तिक स्वीकृति में अध्यारोपित शर्त सं0 01 के अनुपालन में प्रत्यावर्तित भूमि के बदले 4.550 है0 भूमि ग्राम शीलाडांडा सिविल सोयम भूमि पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं उसके 10 वर्षो तक रख रखाव हेतु आवश्यक धनराशि 1394716.00 (तेरह लाख चौरानवें हजार सात सौ सोलह रूपये मात्र) एवं शर्त सं0 02 एन0पी0वी0 की धनराशि रूपये 1922375.00 (उन्नीस लाख बाईस हजार तीन सौ पिचहत्तर रूपये मात्र) **कुल धनराशि रूपये 3317091.00** का एन0ई0एफ0टी0/आर0टी0जी0एस0 चालान के माध्यम से वनविभाग के पक्ष में जमा करवाये गये है।

वर्तमान में उक्त मोटर मार्ग पर भारत सरकार द्वारा प्रदान सैद्वान्तिक स्वीकृति दिनांक 09.10.2019 से आतिथि तक 05 वर्षो से अधिक का समय व्यतीत हो जाने के कारण संशोधित एन0पी0वी0 की धनराशि रू0 1018859.00 जमा करने हेतु संदर्भित पत्र के माध्यम से इस कार्यालय को अवगत कराया गया है। जिसके कम में वाछित धनराशि **रूपये 1018859.00** को वनविभाग के पक्ष में जमा करवा दिया गया है। **(संलग्न ऑनलाईन परिवेश पोर्टल की छायाप्रति व चालन की छायाप्रति।**

भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय (उत्तर–केन्दीय क्षेत्र) 25 सुभाष रोड देहरादून के पत्रांक 8बी/यू0सी0पी0/06/15/2019/एफ0सी0 दिनांक 15.07.2024 के द्वारा सैद्वान्तिक स्वीकृति की शर्त संख्या 1 के संदर्भ में क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चयनित क्षेत्र को विधिवत स्वीकृति से पूर्व वन अधिनियम 1927 के तहत आरक्षित वन/संरक्षित वन के रूप में अधिसूचित करना के निर्देश दिये गये थें जिसके कम में तत्समय ही अधिसूचना आपके कार्यालय को प्रेषित की गयी थी। **(संलग्नः– अधिसूचना की छायाप्रति।)**

अतः आपसे अनुरोध है कि विधिवत स्वीकृति हेतु वांछित धनराशि वनविभाग के पक्ष में जमा कराये जाने के कम में आवश्यक कार्यवाही करने की कृपा करें।

संलग्नः– उपरोक्तानुसार

(सुधीर कुमार ममगाई)
अधिशासी अभियन्ता

पत्रांकः– /पी0एम0जी0एस0वाई–सिंचाई खण्ड/कोटद्वार तददिनांक

प्रतिलिपिः–
1. अधीक्षण अभियन्ता, पी0एम0जी0एस0वाई0 वृत्त, लो0नि0वि श्रीनगर गढ़वाल को सूचनार्थ प्रेषित।
2. सहायक अभियन्ता–प्रथम सिंचाई खण्ड पी0एम0जी0एस0वाई0 कोटद्वार सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

अधिशासी अभियन्ता,
पी0एम0जी0एस0वाई0– सिंचाई खण्ड
कोटद्वार (गढवाल)

Tel/ Fax:- 01386-263144 e-mail:- dfo_soillansdowne@rediffmail.com

कार्यालय, प्रभागीय वनाधिकारी,भूमि संरक्षण वन प्रभाग, लैन्सडौन।

पत्रांकः—1410/12—1 दिनांक, लैन्सडौन 09/04/2025

सेवा में,

वन संरक्षक,
शिवालिक वृत्त,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

विषयः— जनपद पौडी गढवाल में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित किमी0 57.00 के मस्टखाल से शीला डांडा मोटर मार्ग के नवीनीकरण हेतु 5.40 कि0मी0 हेतु 2.275 है0 वन भूमि के सम्बन्ध में।

संदर्भ:— प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून को पत्रांक 1804/12—1 दिनाक 04.01.2025 एंव अधिशासी अभियन्ता, पी0एम0जी0एस0वाई—सिचांई खण्ड कोटद्वार का पत्रांक 309/पी0एम0जी0एस0वाई दिनांक 08.04.2025

महोदय,

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र के कम में अवगत कराना है उक्त मोटर मार्ग पर भारत सरकार द्वारा प्रदान सैद्वान्तिक स्वीकृति दिनांक 09.10.2019 को प्रदान की गई है, सैद्वान्तिक स्वीकृति की अनुपालन आख्या प्रेषित करने में 5 वर्षों से अधिक समय हो जाने के कारण संशोधित एन0पी0वी0 जमा की जानी अनिवार्य है। उक्त के अनुपालन में प्रस्तावक विभाग द्वारा संशोधित एन0पी0वी0 की धनराशि रू0 1018859.00 (दस लाख अठारह हजार आठ सौ उनसठ) वनविभाग के पक्ष में जमा करवा दिया गया है। (संलग्न ऑनलाईन परिवेश पोर्टल की छायाप्रति व चालन की छायाप्रति।

भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय (उत्तर—केन्दीय क्षेत्र) 25 सुभाष रोड देहरादून के पत्रांक 8बी/यू0सी0पी0/06/15/2019/एफ0सी0 दिनांक 15.07.2024 के द्वारा सैद्वान्तिक स्वीकृति की शर्त संख्या 1 के संदर्भ में क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चयनित क्षेत्र को विधिवत स्वीकृति से पूर्व वन अधिनियम 1927 के तहत आरक्षित वन/संरक्षित वन के रूप में अधिसूचित सम्बन्धी प्रस्ताव इस कार्यालय के पत्रांक 302/12—1 दिनाक 22.08.2024 से आपको पूर्व में प्रेषित की गई है जो संलग्न कर प्रेषित की जा रही है। (संलग्नः— अधिसूचना की छायाप्रति।)

अतः आपसे अनुरोध है कि उक्त मोटर मार्ग की विधिवत स्वीकृति हेतु अपने स्तर वांछित धनराशि वनविभाग के पक्ष में जमा कराये जाने के कम में आवश्यक कार्यवाही करने की कृपा करें।

संलग्नः— उपरोक्तानुसार।

भवदीया,
(स्पर्श काला)
प्रभागीय वनाधिकारी,
भूमि संरक्षण वन प्रभाग,लैन्सडौन।

पत्रांक 1410/12-1 दिनांकित।

प्रतिलिपि :— प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून को उनके सन्दर्भित पत्र के कम में सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :— अधिशासी अभियन्ता, पी0एम0जी0एस0वाई—सिचांई खण्ड कोटद्वार को सूचनार्थ प्रेषित।

(स्पर्श काला)
प्रभागीय वनाधिकारी,
भूमि संरक्षण वन प्रभाग,लैन्सडौन।

कार्यालय वन संरक्षक, शिवालिक वृत्त, उत्तराखण्ड, देहरादून
दिनांक 09/4/25

Online payment history made by User Agency under CAMPA

roposal Detail	Application_No	Application No (New)	Date of IN-PRINCIPLE	Amount to be Paid/Amount Paid (in Rs.)	Payment Status	Payment Detail	Demand Letter
FP/UK/ROAD/11139/2015 Mastkhal to Sila Danda Motor Road	ROAD111392015307	6111139307	09 Oct 2019	CA: 0/- , Addl CA : 0/- PCA: 0/- , CAT : 0/- Safety Zone: 0/- , Addl PA : 0/- NPV: 1018859/- , Other Charges : 0/- Other Charges1 : 0/- Other Charges2 : 0/- Other Charges3 : 0/- Total : 1018859/-	Paid	Fund Demand Verified by Nodal Officer On : 14 Feb 2025 Bank Name : Union Bank Of India Mode of Payment : NEFT/RTGS (Challan) Challan Generated On : 15 Feb 2025 Transaction Date : 28 Mar 2025	Demand Letter Gener

ICICI Bank

Application for Funds Transfer through RTGS / NEFT

☐RTGS☐NEFT (Select RTGS or NEFT as remittance type)

आरटीजीएस / एनईएफटी के माध्यम से फंड्स ट्रांसफर के लिए आवेदन

☐ आरटीजीएस ☐ एनईएफटी (आरटीजीएस या एनईएफटी चुनें)

To/प्रति,

The Branch Manager/ शाखा प्रबंधक

Jaktan Branch/ शाखा

Date/तारीख: 27-03-2025

Dear Sir/ प्रिय महोदय,

Please remit through NEFT/ RTGS a sum of ₹ 1018,859=00 (Rupees in words) Ten lac Eighteen Th Eight Hundred and fifty Nine only as per details give below:

कृपया नीचे दिए गए विवरण के अनुसार ₹ ____ (शब्दों में ₹) ____ केवल प्रेषित करें

☐ Cash(only for NEFT)/नकद (केवल एनईएफटी के लिए)* ☐ Cheque/चेक ☐ Debit of my/our account (only for NEFT) / मेरा/हमारा खाता डेबिट करें (केवल एनईएफटी के लिए)

*In case of cash please fill in the pay-in-slip / कृपया नकदी विवरण पे-इन-स्लिप में भरें

*To be filled by the Applicant in CAPITAL LETTERS/कृपया कैपिटल लैटर्स में भरें

DETAILS OF APPLICANT (REMITTER) आवेदक / प्रेषक का विवरण

Account Number/खाता संख्या: 385901000510

Cheque Number/ चेक नंबर: -004547

Cheque Date/ चेक की तारीख: 27032025

Remitter's Name/ आवेदक का नाम: CHIEF ENGINEER URRDA STATE

Address/पता: FUND ACCOUNT

Mobile / Other Number/ मोबाइल / अन्य नंबर:

DETAILS OF BENEFICIARY/लाभार्थी का विवरण

Beneficiary's Name/ लाभार्थी का नाम: UTTARANCHAL CAMPA

Account Number/ लाभार्थी का खाता संख्या: 150896111139307

Bank Name/ लाभार्थी के बैंक का नाम: UNION BANK OF INDIA

IFSC Code (11-digit)/ आईएफएससी कोड (11 अंक): UBIN0996335

Branch Address/ शाखा का पता: MISSION ROAD BENGALURU

Confirm Account Number Again/कृपया पुनः खाता नंबर लिखें: 150896111139307

Remarks (if any)/ टिप्पणी (यदि हो): ____

PURPOSE CODE FOR RTGS/आरटीजीएस के लिए प्रयोजन कूट

	CASH	Cash Management Transfer/ नकद प्रबंधन हस्तांतरण	INTE	Interest/ब्याज	SUPP	Supplier Payment / प्रदायक भुगतान
	CORT	Trade Settlement Payment/ व्यापार निपटान भुगतान	LOAN	Loan / ऋण	TAXS	Tax Payment/ कर भुगतान
	DIVI	Dividend/लाभांश	PENS	Pension Payment/ पेंशन भुगतान	TRAD	Trade /व्यापार
	GOVT	Government Payment / सरकारी भुगतान	SALA	Salary Payment/ वेतन भुगतान	TREA	Treasury Payment/ट्रेजरी भुगतान
	HEDG	Hedging/हेजिंग	SECU	Securities / प्रतिभूति	VATX	Value Added Tax Payment/ मूल्य वर्धित कर भुगतान
	INTC	Intra Company Payment/ इंट्रा कंपनी भुगतान	SSBE	Social Security Benefit/ सामाजिक सुरक्षा लाभ	WHLD	With Holding/रोक

ICICI BANK

संख्या: 1946/X-3-24/01(215)/2018
ई0पत्रावली सं0–10980

प्रेषक,

हेमा पाण्डे,
अनु सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

वन संरक्षक,
शिवालिक वृत्त, उत्तराखण्ड,
देहरादून।

वन अनुभाग–3

देहरादूनः दिनांक 25 नवम्बर, 2024

विषयः जनपद पौड़ी गढ़वाल में प्रधानमंत्री गाम सड़क योजना के अन्तर्गत मस्टखाल से सीलाडांडा मोटर मार्ग (57.00 किमी0) के नव निर्माण हेतु 2.275 है0 वनभूमि के सापेक्ष क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चयनित 4.55 है0 सिविल भूमि को संरक्षित घोषित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या–1086, दिनांक–22.10.2024 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से जनपद पौड़ी गढ़वाल में प्रधानमंत्री गाम सड़क योजना के अन्तर्गत मस्टखाल से सीलाडांडा मोटर मार्ग (57.00 किमी0) के नव निर्माण हेतु 2.275 है0 वनभूमि के सापेक्ष क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चयनित 4.55 है0 सिविल भूमि को संरक्षित घोषित किये जाने हेतु अधिसूचना का अंग्रेजी एवं हिन्दी आलेख्य उपलब्ध कराया गया है।

इस सम्बन्ध में अवगत कराना है कि जनपद पौड़ी गढ़वाल में प्रधानमंत्री गाम सड़क योजना के अन्तर्गत मस्टखाल से सीलाडांडा मोटर मार्ग के निर्माण हेतु सिविल भूमि को पूर्व में ही शासन की अधिसूचना संख्या–1497, दिनांक–29 अक्टूबर, 2021 के माध्यम से भारतीय वन अधिनियम, 1927 के अंतर्गत संरक्षित क्षेत्र घोषित किया जा चुका है। सुलभ सन्दर्भ हेतु निर्गत अधिसूचना की प्रति संलग्न कर प्रेषित की जा रही है।

संलग्नक–यथोक्तः

भवदीया,

Signed by
Hema Pandey
Date: 25-11-2024 17:17:04

(हेमा पाण्डे)
अनु सचिव।

कार्यालय वन संरक्षक शिवालिक वृत्त
पत्रावली सं0....121
रजिस्टर सं0....6051
दिनांक....28-11-2024

उत्तराखण्ड शासन
वन अनुभाग–3
संख्या– 1497 /X-3-21/1(215)/2018
देहरादूनः दिनांकः 29 अक्टूबर, 2021

अधिसूचना

राज्यपाल, भारतीय वन अधिनियम 1927 (अधिनियम संख्या–16, वर्ष 1927) की धारा 29 की उपधारा (1) एवं (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिनियम के अध्याय 4 के प्रयोजनार्थ **सिंचाई खण्ड द्वारा लैन्सडौन के अन्तर्गत मस्टखाल से सीलाडांडा मोटर मार्ग के निर्माण हेतु** हस्तान्तरित 2.275 है0 आरक्षित वन भूमि के सापेक्ष क्षतिपूरक वनीकरण हेतु जिलाधिकारी पौड़ी गढ़वाल द्वारा वन विभाग को हस्तान्तरित की गयी राज्य सरकार के स्वामित्व की श्रेणी–9(3)ड0 (अन्य कृषि योग्य बंजर भूमि) के 4.550 है0 क्षेत्रफल, जिसका विवरण नीचे तालिका में दिया गया है, को वन भूमि के साथ–साथ संरक्षित वन घोषित करते हैं:–

तालिका

क्र0 स0	जिला	ग्राम	पट्टी	खाता संख्या/ खसरा नम्बर	चयनित क्षेत्रफल (है0)	भूमि का किस्म
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	पौड़ी गढ़वाल	सीला	–	934	4.550	उत्तराखण्ड सरकार श्रेणी–9(3)(ड0)

उपरोक्त तालिका में उल्लिखित क्षेत्र भू–अभिलेखों में वन विभाग के नाम नामान्तरित होने से किसी भी प्रकार के अधिकार एवं रियायतों के दावों से मुक्त है।

(विजय कुमार यादव)
सचिव (प्रभारी)।

संख्याः– 1497 /X-3-21/1(215)/2018,तद्दिनांकित।
प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. प्रमुख वन संरक्षक (HOFF), उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. प्रमुख वन संरक्षक, वन्यजीव, उत्तराखण्ड, देहरादून।
3. आयुक्त गढ़वाल मण्डल, उत्तराखण्ड।
4. जिलाधिकारी, जनपद–पौड़ी गढ़वाल।
5. प्रभागीय वनाधिकारी, भूमि संरक्षण वन प्रभाग लैन्सडौन/लैन्सडौन वन प्रभाग कोटद्वार।
6. उप जिलाधिकारी, लैन्सडौन।
7. निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, रूड़की को साधारण गजट के विधायी परिशिष्ट खण्ड(ब), भाग–4 में प्रकाशनार्थ।
8. एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर।
9. गार्ड फाईल।

(विजय कुमार यादव)
सचिव (प्रभारी)।

Signed by Vijay Kumar Yadav
Date: 28-10-2021 14:02:21

In pursuance of the provision of clause (3) of article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of Notification............/............. Dehradun, dated.................... for general information.

Government of Uttarakhand
Forest Section-03
File No. 1497 /X-3-21/1(215)2012
Dehradun : Date :- 29 October, 2021

Notification

In exercise of the powers conferred by sub-section (1) and (2) of section 29 of Indian Forest Act 1927, (Act-16 of 1927) for the purpose of Chapter-4 of the said Act, the Governor is pleased to declare the government owned category 9(3)d land (for other agricultural use barren land) total 4.550 hectare as forest land as well as protected area which was transferred by District Collector of Pauri Garhwal to the forest department for compensatory plantation against the 2.225 hectare Reserve Forest land transferred for the Construction of road from **Mastkhal to seela danda** Motor Road under Pradhan Mantri Gram Sadak Yojna in District Pauri Garhwal, whose area and boundary details are given in the table below.

Table

Sr. no.	District	Village	Patti	Khata Number/ Khasara Number	Total area acquired (in Hectares)	Category of Land
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Pauri Garhwal	seela	-	934	4.550	Uttarakhand Government Category-9(3)(d)

The area mentioned in the table above is free from the claim of any rights and concessions, to be transferred in the name of the Forest Department in the land records.

(Vijay Kumar Yadav)
Secretary (Incharge)

Copy- Sent to the following for information and action.

1. Principal Chief-Conservator of Forests (HOFF), Uttarakhand, Dehradun.
2. Principal Chief Conservator of Forests Wildlife, Uttarakhand, Dehradun.
3. Additional Chief Conservator of Forests, and Nodal Officer, Uttarakhand, Dehradun.
4. Commissioner, Garhwal Mandal, Uttarakhand, Pauri.
5. District Magistrate, Pauri Garhwal.
6. Divisional Forest Officer, Soil Conservation Division, Lansdown.
7. Sub- Divisional Magistrate, Lansdown .
8. Director, Government Currency Roorkee to be published in the Legislative Council section-(B) part-4 of the general Gazette..
9. NIC, Secretariat campus.
10. Guard File.

(Vijay Kumar Yadav)
Secretary (Incharge)

Signed by Vijay Kumar Yadav
Date: 28-10-2021 14:01:56

Tel/ Fax:- 01386-263144 e-mail:- dfo_soillansdowne@rediffmail.com

कार्यालय, प्रभागीय वनाधिकारी,भूमि संरक्षण वन प्रभाग, लैन्सडौन।

पत्रांकः— 1028 /12—1 दिनांक, लैन्सडौन, 27/01/ 2025

सेवा में,

अधिशासी अभियंता,
पी0एम0जी0एस0वाई सिचाई खण्ड,
कोटद्वार, पौडी।

विषयः— जनपद पौडी गढवाल के प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत मस्टखाल से शीला डांडा मोटर मार्ग के नवीनीकरण हेतु (5.450 किमी) 2.275 है0 वन भूमि का ग्राम्य विकास विभाग को प्रत्यावर्तन।

(online Proposal No. FP/UK/ROAD/11139/2015)

सन्दर्भः— प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून का पत्रांक 1809/12—1 दिनांक 04.01.2025

महोदय,

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र के कम में अवगत कराना है कि उक्त मोटर मार्ग में भारत सरकार द्वारा सैद्धान्तिक स्वीकृति दिनांक 07.12.2018 को प्रदान की गई है। सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालन आख्या प्रेषित करने में 05 वर्षो से अधिक समय होने के उपरान्त संशोधित एन0पी0वी0 जमा की जानी अनिवार्य है, आपके द्वारा पूर्व में NVP की धनराशि (2.275x845000) = 1922375.00 (उनीस लाख बयासी हजार तीन सौ पिचहत्तर) जमा की गई थी।

अतः संशोधित NVP की धनराशि (2.275x1292850) = 2941233.75 या 2941234.00 (उनतीस लाख इकतालिस हजार दो सौ चौतीस) शेष NVP की धनराशि रू0 1018859.00 (दस लाख अठारह हजार आठ सौ उनसठ) आपके द्वारा जमा की जानी है। उक्त धनराशि वन विभाग के कैम्पा मद के अन्तर्गत प्रतिपूर्ति पौधारोपण प्रबन्धन तथा योजना का प्राधिकरण के तर्दथ निकाय के लेखा संख्या ए0बी0— 25229/— कार्पोटेशन बैंक (भारत सरकार का उपकम) ब्लॉक—11 भूतल सी0जी0ओ0 कॉम्लेक्स फेज 1 लोधी रोड नई दिल्ली 110003 में जमा करने के उपरान्त ही प्राप्ति की कलर प्रमाणित छायाप्रति, जमा की गई धनराशि का बैंक डाफ्ट/चैक की प्रमाणित छायाप्रति का विवरण इस कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

भवदीया,

(स्पर्श काला)
प्रभागीय वनाधिकारी,
भूमि संरक्षण वन प्रभाग,लैन्सडौन।

पत्रांकः— 1028 /12—1 दिनांकित।

प्रतिलिपः— अपर प्रमुख वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, इन्द्रिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून को उनके उपरोक्त संदर्भित पत्र के कम में सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः— वन संरक्षक, शिवालिक वृत्त, उत्तराखण्ड, देहरादून को सूचनार्थ प्रेषित।

(स्पर्श काला)
प्रभागीय वनाधिकारी,
भूमि सरक्षण वन प्रभाग,लैन्सडौन।

कार्यालय–प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,
इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून।
E-Mail ID: nodalofficerddn@gmail.com,Phone/Fax: 0135 2767611

पत्रांक–1804/12–1 देहरादूनः दिनांकः 24 दिसम्बर, 2025 (जनवरी)

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी,
भूमि संरक्षण वन प्रभाग,
लैन्सडौन।

विषयः– जनपद पौड़ी गढ़वाल में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत मरटखाल से शीलास डान्डा मोटर मार्ग के नवीनीकरण हेतु (5.450 किमी) 2.275 है0 वन भूमि का ग्राम्य विकास विभाग को प्रत्यावर्तन। (Online Proposal No. FP/UK/ROAD/11139/2015)

सन्दर्भ :– भारत सरकार की पत्र सं0 8बी./यू.सी.पी./06/15/2019/एफ0सी0/509 दिनांक 15–07–2024।

महोदय,

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र द्वारा प्रकरण में सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त सं0 1 के संदर्भ में क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चयनित क्षेत्र को आरक्षित/संरक्षित वन के रुप में अधिसूचित करने की अपेक्षा की गई है। उक्त के कम में आपके द्वारा पत्रांक 787/1–15 दिनांक 03–12–2024 से प्रकरण में क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चयनित क्षेत्र को आरक्षित/संरक्षित वन घोषित किये जाने हेतु जारी अधिसूचना की प्रति वन संरक्षक शिवालिक वृत्त को उपलब्ध कराई गई है तथा प्रतिलिपि इस कार्यालय को की गई है।

अतः उपरोक्त प्रकरण में भारत सरकार द्वारा सैद्धान्तिक स्वीकृति दिनांक 09–10–2019 को प्रदान की गई है, सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालन ऑख्या प्रेषित करने में 5 वर्षो से अधिक का समय हो जाने के कारण संशोधित एन.पी.वी. जमा की जानी अनिवार्य है। अतः कार्यदायी संस्था से संशोधित एन.पी.वी. की धनराशि जमा करवाने हेतु डिमान्ड नोट जारी कर इस कार्यालय को सत्यापन हेतु प्रस्तुत करें।

भवदीय,

(आर०के० मिश्र)
प्रमुख वन संरक्षक,
एवं नोडल अधिकारी वन संरक्षण,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

संख्या 1804/12–1 तददिनांकित।

प्रतिलिपि :– निम्नलिखित को को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1– वन संरक्षक, शिवालिक वृत्त, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2– अधिशासी अभियंता, पी.एम.जी.एस.वाई. सिंचाई खण्ड, कोटद्वार, पौड़ी।

(आर०के० मिश्र)
प्रमुख वन संरक्षक,
एवं नोडल अधिकारी वन संरक्षण,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

FC 1/76996

भारत सरकार / GOVERNMENT OF INDIA
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय /
Ministry of Environment, Forest & Climate Change
क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून /
Regional Office, Dehradun

सत्यमेव जयते

25 सुभाष रोड, देहरादून-248001/ 25 SUBHASH ROAD, DEHRADUN-248001
दूरभाष/ PHONE-0135-2650809, ई-मेल/ E-mail-moef.ddn@gov.in

पत्र संo 8 बी/यू.सी.पी./06/15/2019/एफ.सी. दिनांकः 15 /07/2024

सेवा में,

प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी
वन संरक्षण, इन्दिरानगर फारेस्ट कालोनी,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

विषयः. जनपद - पौड़ी गढ़वाल में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत मास्टखाल से शीला डांडा मोटर मार्ग के नवीनीकरण हेतु (5.450 किमी0) हेतु 2.275 है0 वन भूमि के सम्बनध में। (Online Proposal no. FP/UK/ROAD/11139/2015)

सन्दर्भःकार्यालय- प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, उत्तराखण्ड का पत्रांक 1304/12-1 : देहरादूनः दिनांक 06-01-2024 (received online on 16.03.2024)

महोदय,

उपरोक्त विषय पर संदर्भित पत्र का आशय ग्रहण करते हुए मुझे आपको यह सूचित करने का निर्देश हुआ है कि सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त संख्या 1 के संदर्भ में क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चयनित क्षेत्र को विधिवत् स्वीकृति से पूर्व भारतीय वन अधिनियम, 1927 के तहत् क्षतिपूरक वृक्षारोपण क्षेत्र (सिविल और सोयाम भूमि) को आरक्षित वन/संरक्षित वन के रूप में कृपया अधिसूचित करना सुनिश्चित करें।

उपरोक्त के क्रम में जवाब प्राप्ति के उपरांत ही प्रस्ताव पर अग्रिम कार्यवाही की जा सकेगी ।

भवदीया,

Signed by Neelima Shah
Date: 15-07-2024 12:18:27

(नीलिमा शाह, भा०व०से०)
सहायक महानिरीक्षक वन (केन्द्रीय)

प्रतिलिपिः-अपर मुख्य सचिव (वन) उत्तराखण्ड शासन, सुभाष रोड़, देहरादून सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।